Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

गणपत पुत्र रावताराम जाति चमार साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर व अन्य

किस्म मुकदमा:–रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्र0स0– 343/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हए
19.10.2022	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राज एवं अप्रार्थी गणपत के वारिसान लेखराम आदि की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई तथा अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री संजय चाण्डक हाजिर। अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई ने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.5.2013 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी गणपत का देहान्त 29.02.1992 को ही हो गया है। हस्तगत रेफरेन्स मृतक व्यक्ति के विरूद्व पेश किया है जो शुरू से ही शून्य की श्रेणी में आने से एवं विधि विरूद्व होने से खारिज किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 श्री संजय चाण्डक ने जवाव दिनांक 09.01.2014 व प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2017 तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि जेर प्रकरण रकबा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 5 अप्रेल 1967 द्वारा घग्गर बांध डिप्रेशन के लिए आरक्षित किया गया है। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी संख्या 1 गणपतराम के मृत्यु प्रमाण की फोटोकॉपी का अवलोकन करने से पाया कि गणपतराम का देहान्त दिनांक 29.02.1992 को ही हो चुका है। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा हस्तगत रेफरेन्स दिनांक 19.03.2013 को मृतक के विरूद्व पेश किया गया है। मृतक के विरूद्व पेश किया रेफरेन्स कानूनन Nullity in law की श्रेणी में आता है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अवलोकन से पाया कि जेर प्रकरण भूमि तहसील सूरतगढ़ के ग्राम सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 167/2 की 1.569 है0 बारानी भूमि अप्रार्थी संख्या 01 गणपत के नाम टी.सी. आवंटन है। टी.सी. आवंटन के विरूद्व कानून के प्रावधानों के अनुरूप आवंटन अधिकारी के समक्ष अपील पेश किये जाने का प्रावधान भी है। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के परिपत्र कमांक प. 3 (146) राज–7/2011 जयपुर, दिनांक 26.06.2012 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, बांध, तालाब, जोहड के रूप में दर्शायी है तथा जिनके Water flow से उक्त जलाशयों में पानी पहुंचता है, में किये गये भूमि आवंटन/खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में रेफरेन्स कार्यवाही अमल में लायी जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अप्रार्थी संख्या 01 को किये गये आवंटन के विरूद्व पेश किया है जिसके साथ मात्र जमाबंदी संवत् 2067–70 की फोटोकॉपी पेश की है। जबकि किसी आदेश के विरूद्व वाद पेश करते समय उस आदेश की प्रमाणित प्रति/मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की जानी चाहिए। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अधूरा पेश किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तगत रेफरेन्स तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आश्य के साथ वापिस लोटाया जाता है कि वे राजस्व रिकार्ड का भली भांती अवलोकन कर राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति अनुसार सक्षम न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित नियमानुसार अपील/रेफरेन्स पेश करे। पत्रावली में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन दिनांक 5 अप्रेल 1967 की फोटोकॉपी अनुसार जेर प्रकरण रकबा रिवाइज्ड घग्घर बांध डिप्रेशन न. 1 लगायत 18 के लिए जाने की संभावना थी। यदि जैर प्रकरण भूमि आरक्षित/अवाप्त हो चुकी हो तो आरक्षित/अवाप्ति अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने की कार्यवाही करे। आदेशिका की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ तथा अधिशाषी अभियंता, जल संशाधन खण्ड सूरतगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (... कुमार जाखड़) अतिरिक्त जिला कलक्टर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:03:39 IST
Reason: SelfAttested

F:\form no. 3.doc 1035

Scanned by CamScanner